

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 80.7 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (14 प्रस्ताव)

अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक के दौरान ऐसे प्रस्तावों पर नियम 74ए के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के आधार पर एसईजेड यूनिटों के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय 6 जनवरी 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 74वीं बैठक के दौरान डीजीईपी ने इच्छा व्यक्त की थी कि एसईजेड नियमावली 2006 में उपयुक्त ढंग से इस निर्णय को शामिल किया जाए। वाणिज्य सचिव ने निदेश था कि यह कार्य यथाशीघ्र किया जाए। इसके बाद 16 सितंबर 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 79वीं बैठक के दौरान अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि एसईजेड नियमावली में संशोधन होने तक शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से एसईजेड नियमावली 2006 में संशोधन के लिए प्रस्ताव को विधायी विभाग के साथ उठाया गया था। तथापि, विधायी विभाग ने बताया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में केवल मंजूरी पत्र के निलंबन पर अनुमोदन पत्र के अंतरण की अनुमति प्रदान करती है। यह भी बताया गया कि स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में विकासक / सह विकासक तथा अन्य के बीच अनुमोदन पत्र के परस्पर अंतरण के मुद्दे पर अधिनियम मूक है। विधायी विभाग ने सुझाव दिया था कि इस मामले में विधायी कार्य विभाग की सलाह ली जाए।

अनुमोदन बोर्ड ने इस तथ्य को नोट किया कि वाणिज्य विभाग ने विकासकों एवं यूनिटों द्वारा सूचित शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि को विनियमित करने के लिए एसईजेड नियमावली 2006 में एक नया नियम शामिल करने के प्रस्ताव को विधायी कार्य विभाग को उनकी राय के लिए संदर्भित किया था। ऐसा समझा जाता है कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 10 (10) निर्यात को बढ़ावा देने या यूनिटों के हितों की रक्षा करने के लिए या जनहित में ऐसी योजना तैयार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को अधिकृत करती है जिसे यह आवश्यक समझे। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 31वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने आवश्यक सुरक्षोपायों को शामिल करते हुए इस संबंध में एक योजना तैयार की थी जिसे अनुदेश संख्या 21 दिनांक 16 जुलाई 2009 के रूप में परिचालित किया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने 23 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में भी एसईजेड यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन से संबंधित मामले में निर्णय लिया था। इसलिए निर्णय लिया गया कि इन प्रस्तावों के संबंध में कार्यवृत्त विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त करने के बाद जारी किया जा सकता है।

विधायी कार्य विभाग ने यह राय व्यक्त की है कि चूंकि एसईजेड अधिनियम में अन्य बातों के साथ नाम में परिवर्तन, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन तथा व्यवसाय अंतरण की व्यवस्थाओं को निषिद्ध करने के लिए कोई स्पष्ट और प्रच्छन्न प्रावधान नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुमत है, इसलिए कानूनी तौर पर यह कहना सही नहीं है कि ऐसे परिवर्तन अनुमत नहीं हैं। तथापि, चूंकि एसईजेड अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसलिए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 10 के तहत कोई योजना तैयार करके या अधिनियम में संशोधन करके इस सुरक्षोपाय के अधीन ऐसे अंतरण को सुगम बनाने के लिए नीतिगत निर्णय लेना प्रशासनिक विभाग के ऊपर निर्भर है कि इसका दुरुपयोग न हो।

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

विधायी कार्य विभाग की उपर्युक्त राय तथा अनुदेश संख्या 21 दिनांक 16 जुलाई 2009 को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की :

(i) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स रेडियंट रिसाइकलर्स एलएलपी जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पार्टनरशिप तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स रुद्राक्ष प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने डायरेक्टरशिप तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स विजनरी आरसीएम इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो टिडेल पार्क, एलकाँट एसईजेड, कोयंबटूर की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) स्लंप सेल आधार पर नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स स्टेट स्ट्रीट सिंटेल् सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो थाणे बेलापुर रोड, एयरोली, नवी मुंबई में माइंड स्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (सेरीन) - एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने स्लंप सेल के आधार पर नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) मैसर्स कागनीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स इटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की स्कीम जो आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई द्वारा अनुमोदित है, के परिणामस्वरूप दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स इटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 20 एवं 21, सेक्टर 135, नोएडा में मैसर्स सीव्यू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स कागनीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैसर्स इटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की स्कीम जो आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई द्वारा अनुमोदित है, के परिणामस्वरूप दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vi) 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण / नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स नेटवर्क इंटरनेशनल ग्लोबल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो एमईबीपी एसईजेड, बंगलौर की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नाम में परिवर्तन / 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) जो प्लाट नंबर 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(viii) कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) जो प्लाट नंबर 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाधयताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ix) कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट

2) जो प्लाट नंबर 3, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, पुणे में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने कार्यान्वयन एजेंसी को मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) (डिमर्ज्ड कंपनी) से बदलकर मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) (परिणामी कंपनी) करने और इसके बाद मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैसर्स एटोस ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(x) मैसर्स ड्रेसर वाल्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका बाद में नाम बदलकर मैसर्स जीई ऑयल एंड गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किया गया है, को मैसर्स जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत अंतरण के लिए मैसर्स जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड जो एसईईपीजेड एसईजेड के तहत यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ड्रेसर वाल्व इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका बाद में नाम बदलकर मैसर्स जीई ऑयल एंड गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किया गया है, को मैसर्स जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के 100 प्रतिशत अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xi) विकासक की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन / अंतरण के लिए पुराना महाबलीपुरम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ईटीए टेक्नोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन / उसके अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xiii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो नवालूर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

- i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xiv) अपने मुंद्रा पावर प्लांट को अपनी सहायक कंपनी अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड जो मुंद्रा में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) में सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा पावर प्लांट को उसकी सहायक कंपनी अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

नाम, शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन आदि के संबंध में पूरक एजेंडा में निहित 14 प्रस्तावों के संबंध में 17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

- i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
- ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
- iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
- v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
- vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
- vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
